# न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, सिमडेगा।

वाद सं0–एस0ए0आर0 13/2015–16
दिनांक–14.12.2022.

अब्राहम बारला
बनाम
सुशील टेटे वगै0

## आदेश

प्रस्तुत वाद अनुसूचित क्षेत्र विनियम, 1969 अन्तर्गत भूमि वापसी वाद की कार्यवाही आवेदक अब्राहम बारला, पिता–स्व0 उम्बलन बारला, साकिन–रानीकुदर बकमटोली, थाना–टी0टांगर, जिला–सिमडेगा के आवेदन पर प्रारंभ किया गया। आवेदक ने लिखा है कि विपक्षी सुशील टेटे, पिता–स्व0 जयमसीह टेटे वो आनाल टेटे, पिता–स्व0 फिलीप टेटे, साकिन–रानीकुदर, थाना–टी0टांगर, जिला–सिमडेगा ने अवैध तरीके से उनकी रैयती भूमि पर कब्जा कर लिया हैं। जिसे बिहार अनुसूचित क्षेत्र विनियम, 1969 के तहत् वापस दिलवाने का अनुरोध किया हैं। वाद सं0–13/2015–16 के अनुसार प्रश्नगत् भूमि की विवरणी निम्नवत हैं:–

| मौजा | खाता नं0 | प्लॉट नं0 | रकबा |
|---|---|---|---|
| रानीकुदर | 52 | 1278 | 0.94 एकड़ |
| | 68/2 | 1077 | 0.05 एकड़ |
| | | 1075/3 | 0.05 एकड़ |
| | | | कुल–1.04 एकड़ |

बिहार अनुसूचित क्षेत्र विनियम, 1969 के अन्तर्गत संबंधित मुकदमें की सुनवाई हेतु उभय पक्षों को नोटिस निर्गत करते हुए आदेशित किया गया कि विवाविद जमीन के आलोक में सबूत एवं कागजात के साथ उपस्थित हो, अन्यथा एकतरफा सुनवाई की जायेगी। न्ययालय के पत्रांक 214/विधि, दिनांक 02.06.2016, पत्रांक–359/विधि, दिनांक 23.09.2016, 148/विधि, दिनांक 19.04.2017 एवं पत्रांक–222/विधि, दिनांक 26.05.2017 द्वारा अंचल अधिकारी, ठेठईटांगर से उपरोक्त भूमि के आलोक में विहित–प्रपत्र में प्रतिवेदन की मांग की गई। अंचल अधिकारी, ठेठईटांगर के पत्रांक–233(ii), दिनांक 01.06.2017 द्वारा विहित–प्रपत्र में वाद सं0–एस0ए0आर0–13/2015–16 के आलोक में प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया। प्रतिवेदन में उल्लेखित किया गया कि–

1. विपक्षी का प्रश्नगत् भूमि पर खाता नं0–52, थाना नं0–111, मौजा–रानीकुदर, प्लॉट नं0–1077, 1078, रकबा क्रमशः–0.05 एकड़, 0.94 एकड़ भूमि खरीदगी (निबंधित पट्टा सं0–194, दिनांक 11.04.1942) द्वारा दखलकार है। खाता नं0–68, प्लॉट नं0–1075, रकबा–0.05 एकड़ पर मकान सहन बना हुआ है।
2. विपक्षी का कुल रकबा–1.04 एकड़ पर खरीदगी की तिथि से दखलकार है।
3. प्लॉट नं0–1075 पर पर कच्चा खपरैल मकान का निर्माण किया हुआ है।
   (क) मकान का निर्माण 0.03 एकड़ पर है, जो लगभग 75 वर्ष से है।
   (ख) अनुमानित लागत लगभग 75,000/–(पचहत्तर हजार रूपये) है।
   (ग) कुआं का निर्माण नहीं हुआ है।
4. खतियानी रैयत खाता नं0–52 का ओबेद मुण्डा वल्द पूरन मुण्डा कौम मुण्डा साकिन–कोरोन्जो के नाम दर्ज है। खाता नं0–68 नोवरत मुण्डा वो हेरमन मुण्डा वो निर्दोष मुण्डा वो उम्बलन मुण्डा पेशरान पतरस मुण्डा कौम मुण्डा, साकिन देह टोला रामटोली खतियान में दर्ज है।

कृ0पृ0उ0

Scanned with OKEN Scanner

5. खाता नं0–52, प्लॉट नं0–1077, 1078, रकबा क्रमशः–0.05, 0.94 एकड़ की जमाबंदी जयमसीह खड़िया, पिता–गरीहदारा खड़िया के नाम कायम है। खाता नं0–68, प्लॉट नं0–1075, रकबा–0.05 एकड़ की जमाबंदी नोथरोथ मुण्डा वगै0 के नाम कायम है।

अभिलेख के अवलोकन से ज्ञात होता है कि द्वितीय पक्ष सुशील टेटे, पिता–स्व0 जयमसीह टेटे वो आनाल टेटे, पिता–स्व0 फिलीप टेटे, साकिन–रानीकुदर, थाना–टी0टांगर, जिला–सिमडेगा द्वारा न्यायालय में विवादित भूमि के आलोक में लगान रसीद समर्पित किया गया है। साथ ही उनके द्वारा न्यायालय में विवादित जमीन के आलोक में जवाब–दाखिल किया है। जिसमें उल्लेख किया गया है कि ओबेद मुण्डा, पिता–पूरन मुण्डा, साकिन–रानीकुदर, थाना–टी0टांगर, जिला–सिमडेगा के खाता नं0–52 के दर्ज काश्तकार है। ओबेद मुण्डा द्वारा खाता नं0–52 के अन्तर्गत कुल–18.77 एकड़ भूमि जिसके अन्तर्गत प्रक्रियाधीन की जमीन भी सम्मिलित है। उसे जयमसीह टेटे तेहोन्ज, पिता–मसीह टेटे तेहोन्ज को विक्री किया। जिसका रजिस्ट्री पट्टा सं0–194, दिनांक 11.04.1942. प्रक्रियाधीन जमीन को खरीदने के उपरांत द्वितीय पक्ष उस भूमि पर शान्तिपूर्ण दखलकार रहे है और जमीन के बावत लगान जमींदार को अदा कर रहे है, और जमींदार के निहित होने के बाद उसका नाम किरायेदार के बही खाता में दर्ज हो जाता है, और सरकार उसे उपरोक्त भूमि के रैयत को मान्यता देती है। उनके द्वारा सरकार को अबतक लगान दी जा रही है, और लगान रसीद सुशील टेटे, पिता–स्व0 जयमसीह टेटे के नाम से निर्गत है। जयमसीह टेटे तेहोन्ज दिनांक 11.04.1942 से खाता नं0–68, प्लॉट नं0–1075, रकबा–0.05 एकड़ जमीन पर दखलकार रहे। खाता नं0–52 के जमीन को रजिस्ट्री पट्टा के द्वारा खरीदने के उपरांत उनके द्वारा उस पर कच्चा खपरैला मकान बनाकर रहने लगा। जिसपर वे 1942 से दखलकार रहे है। वर्त्तमान में सुशील टेटे, पिता–जयमसीह टेटे पिता के मृत्यु के उपरांत उस घर पर दखलकार है। प्रथम पक्ष अब्राहम बारला, पिता–स्व0 उम्बलन बारला, साकिन–रानीकुदर के खाता नं0–52 के दर्ज किरायेदार ओबेद मुण्डा के वैधानिक उत्तराधिकारी नहीं है। दर्ज किरायेदार ओबेद मुण्डा का गौत्र नहीं है। बिहार अनुसूचित क्षेत्र विनियम, 1969 के अन्तर्गत धारा–46 का उल्लंघन नहीं किया गया है। साथ ही खाता नं0–52 के लिए सी0एन0टी0 के अन्तर्गत धारा–71ए का मामला कायम के लायक नहीं है। प्रथम पक्ष अब्राहम बारला, पिता–स्व0 उम्बलन बारला, साकिन–रानीकुदर बकम टोली, थाना–टी0टांगर, जिला–सिमडेगा द्वारा यद्यपि बिहार अनुसूचित क्षेत्र विनियम, 1969 के अन्तर्गत जमीन वापस करने का अनुरोध किया है। तथापि अभिलेख के अवलोकन से ज्ञात होता है कि उनके द्वारा विवादित जमीन के संदर्भ में अपने अधिवक्ता के माध्यम से न ही जवाब–दाखिल किया है और न ही किसी प्रकार कागजात/दस्तावेज न्यायालय में समर्पित किया है।

अंचल अधिकारी, ठेठईटांगर को निर्देश दिया जाता है कि 90 दिनों के पश्चात् विपक्षी को दखल देहानी दिलाकर न्यायालय को सूचित करेंगे।

अंचल अधिकारी, ठेठईटांगर को निदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित प्रक्रिया की जमीन पर विपक्षी सुशील टेटे, पिता–स्व0 जयमसीह टेटे, साकिन–रानीकुदर, थाना–ठेठईटांगर, जिला–सिमडेगा को दखल देहानी ससमय करते हुए इस न्यायालय को प्रतिवेदित करेंगे।

थाना प्रभारी, ठेठईटांगर को इस आदेश की प्रति देते हुए निदेशित किया जाता है कि दखल देहानी में अंचल अधिकारी, ठेठईटांगर की मदद करेंगे।

लेखापित एवं संशोधित।

Digitally signed by Aruna Kumari
Date: 2025.08.20 15:32:34 +05:30
Location: 10.145.93.80

अनुमण्डल पदाधिकारी
सिमडेगा।

अनुमण्डल पदाधिकारी
सिमडेगा।

Scanned with OKEN Scanner